

**राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक प.22(1)न्याय / 22

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में रिक्त पदों का अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित विभाग
1.	अजय अग्रवाल	उप विधि परामर्शी तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथिक (आयुष) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2.	कन्हैया लाल जोशी	सहायक विधि परामर्शी कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय प्राचार्य, सरदार पटेल, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
3.	श्री भौम सिंह चौहान	सहायक विधि परामर्शी जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जोधपुर
4.	हंसराज खटीक	सहायक विधि परामर्शी नगर निगम ग्रेटर, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर
5.	संदीप भारद्वाज	सहायक विधि परामर्शी कार्यालय महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
6.	प्रीति गोयल	सहायक विधि परामर्शी कृषि सिंचित क्षेत्र एवं जल उपयोगिता विभाग (सी.ए.डी.) सचिवालय, जयपुर।	वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशक अभियोजन जयपुर।
7.	अनुराग चौधरी कनिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय कृषि विभाग जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर (श्रीमती चन्द्रकांता मौर्य के अवकाश पर रहने तक प्रभावी)
8.	गौरव चौधरी	कनिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय कोष एवं लेखा जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर

9.	वेद प्रकाश मीना	कनिष्ठ विधि अधिकारी संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा	कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर, बारां
----	-----------------	---	--

आज्ञा से

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाए।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव